राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2593/2023

सुभाष चन्द्र ढाका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2023
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यथा स्थान झुंझुनू कार्यग्रहण करने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है तथा आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। जबकि उक्त आलोच्य आदेश बिना किसी कारण के बताए एवं बिना प्रशासनिक अत्यावश्यकता के राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि

अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती सुमित्रा ढाका भी राजकीय सेवा में झुंझुनू में कार्यरत है और अपीलार्थी किडनी की बीमारी से पीड़ित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त दिनांक 21.07.2025 को होने वाला है, जिसमें मात्र 21 माह का समय शेष है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को यथा स्थान झुंझुनू कार्यग्रहण करने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से स्थानान्तरण संबंधी कार्य किया जा सकता है और आलोच्य आदेश महोदय के निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध गंभीर शिकायतें होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में अपीलार्थी को एपीओ किया गया है और अन्य अधिकारी द्वारा झुंझुनू के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है तथा आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। जबकि उक्त आलोच्य आदेश बिना किसी कारण के बताए एवं बिना प्रशासनिक अत्यावश्यकता के राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जहां तक अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के दौरान आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए अपनी उपस्थिति शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग में देने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग

के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2023 में स्थानान्तरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है अपितु आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2023 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय की अनुमति द्वारा ही विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है एवं अनुलग्नक आर–7 पेज संख्या 16 से 19 तक के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की कई शिकायतों के कारण एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के आधार पर ही अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का कोई उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। यह यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी की कोई व्यक्तिगत कठिनाईयां/परेशानियां हैं तो वह विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य